तारीख हुक्म	बजरंग बनाम भूमिधारी **हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज** ग्राम पत्थरगढ़ी प्र.नं. 76/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 401/भू.अ./23 दिनांक 02.06.2023 के द्वारा तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट से प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)	
10.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार [illegible] तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली [illegible]मील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.07.13 10:23:43 IST Reason: SelfAttested 10/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76 / 2022	2022 / 351	31.10.2022	10.07.2023

उनवान प्रकरण

1. बजरंग पुत्र भोमाराम आयु 57 वर्ष
2. रघुनाथ पुत्र भोमाराम आयु 58 वर्ष

समस्त जाति जांगिड निवासीगण ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. शंकरलाल पुत्र गोपाल आयु 55 वर्ष
3. शिवकिशोर पुत्र गोपाल आयु 50 वर्ष
4. सीताराम पुत्र शिशपाल आयु 65 वर्ष
5. रामोतार पुत्र शिशपाल आयु 52 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. प्रहलाद सिंह पुत्र छोटू सिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:43 IST
Reason: SelfAttested

———अप्रार्थीगण

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थित—

श्री अनिल यादव, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 416, 419, 424 कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 हैक्टर तन ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है, जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 414, 415 तन ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित हैं। जिस पर अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 3 काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 413 तन ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित हैं। जिस पर अप्रार्थी नम्बर 4 काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 400 तन ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित हैं। जिस पर अप्रार्थी नम्बर 5 काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 420/2 तन ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित हैं। जिस पर अप्रार्थी नम्बर 6 काबिज खातेदार काश्तकार हैं। भूमि खसरा नम्बर 416, 417, 423, 424 का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2021/71 दिनांक 26.05.2021 की पालना में पटवार हल्का शिमारला [illegible] जिला सीकर के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक [illegible] जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] बाबत भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। मौके पर कोई फसल काश्त [illegible] हुयी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 416, 419, 424 कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 हैक्टर तन् ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.05.2021 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान करने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की नोटिस तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 401/भू.अ./23 दिनांक 02.06.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि :–

पटवारी हल्का शिमारला जागीर की रिपोर्ट अनुसार

राजस्व ग्राम शिमारला जागीर पटवार मण्डल शिमारला जागीर के उक्त भूमि मौके पर खाली हैं। भूमि बाबत विवाद एंव स्थगन नहीं हैं। प्रार्थीगण में कोई राजकीय बकाया नहीं होने बाबत अवगत कराया हैं। तहसीलदार श्रीमाधापुर की मौका एवं जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 27.05.21 को पटवारी हल्का सिमारला जागीर द्वारा करवाया जाना तथा वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर खाली होना तथा कोई फसल काश्त नहीं होना प्रतित होता हैं।

प्रकरण में भूमिधारी त[illegible] श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी[illegible] बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का अन्तिम निस्तारण किये [illegible] का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पटवारी हल्का शिमारला जागीर, नजरी नक्शा व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन एंव प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 416, 419, 424 कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का शिमारला जागीर के द्वारा दिनांक 27.05.2021 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 71/एल.आर./2021 दिनांक 26.05.2021 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का शिमारला जागीर के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का शिमारला जागीर द्वारा दिनांक 27.05.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 416, 419, 424 कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 हैक्टर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. की पत्थरगढी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एवं दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का शिमारला जागीर द्वारा दिनांक 27.05.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व मैंढ डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/07/23

(दिलीप सिंह)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:43 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर